स्वतंत्र नियामकीय आयोग की प्रकृति एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालें। (Discuss Nature and Features of Indepedent Regulatory Commission)। (1)

Introduction :– परिचय – स्वतंत्र नियामक आयोग एक विलक्षण प्रकार की अमेरिकन प्रशासकीय इकाई है। इनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1887 में हुआ था। इसकी स्थापना इसलिए की गयी थी कि समाज में शक्तिशाली आर्थिक वर्गों की क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन द्वारा सार्वजनिक हित की रक्षा तथा अभिवृद्धि की जा सके।

स्वतंत्र नियामकीय आयोग की **दो आधारभूत विशेषताएँ है।**

(i) यह प्रमुख कार्यकारी के नियंत्रण से स्वतंत्र है। यह न तो उसके प्रति उत्तरदायी है और न अपने कार्यक्रम के सम्बन्ध में उसे प्रतिवेदन देने के सम्बन्ध में बाध्य है। वास्तविक रूप में यह विभागीय संरचना से बाहर है और राष्ट्रपति अथवा किसी दूसरे कार्यकारी अधिकारी की अधीनता में नहीं रहने के कारण "Headless" भी कहा जाता है।

(ii) इसके कार्य मिश्रित किस्म के है जैसे प्रशासनिक, अर्द्ध विधायी और अर्द्ध न्यायिक। अमेरिकी शासन व्यवस्था के तीन परंपरागत विभागों से अलग रहने के कारण इसे The fourth branch of the government की भी संज्ञा दी गई है।

स्वतंत्र नियामकीय आयोग को स्वतंत्र इसलिए कहा जाता है चूंकि नगरपालिका से उसकी स्वतंत्र संगठनात्मक स्थिति के अतिरिक्त वे राजनीतिक या आर्थिक हितों के दबाव के बिना अपने क्षेत्र में लोकनीति का नियमन करते है। डिमॉक (Dimock) के अनुसार "इन आयोगों को स्वतंत्र इसलिए कहा जाता है कि उनपर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वे स्थापित निष्पक्ष विभागों की परिधि से बाहर होते है।" इन्हें नियामक कहने का कारण यह है कि इनकी स्थापना का उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करना होता है।

स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की स्थापना के कारण - Cause of establishment I.R. Commission :→ साधारणतः स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना के निम्नलिखित कारण है :–

(i) **अर्ध-न्यायिक प्रकृति के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए** :– नियामकीय आयोगों की कार्यों की प्रकृति अर्ध न्यायिक होती है। साधारणतः यह माना जाता है कि अर्ध न्यायिक प्रकृति के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए निष्पादक विभागों (Executive departments) की अपेक्षा स्वतंत्र आयोग अधिक उपयुक्त साबित होते है।

(ii) **निर्दलीय ढंग से कार्यों को सम्पन्न करने के लिए** :– आधुनिक समय में लोक प्रशासन के अनेक ऐसे कार्य हैं जिनके उचित सम्पादन के लिए यह आवश्यक है कि उनके कार्यकर्ता दलगत राजनीति से अलग रहकर निर्दलीय ढंग से रहकर

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

उनका सम्पादन करें। ऐसे कार्यों के संपादन के लिए विशेषज्ञों के आयोग ही उपयुक्त रहते हैं।

(iii) प्रादेशिक माँगों की संतुष्टि के लिए :— नियामक आयोग प्रादेशिक माँगों की पूर्ति के लिए स्थापित किये जाते हैं। विभिन्न प्रदेशों की अपनी विशिष्ट समस्याएँ होती हैं जिनका समाधान सामान्य प्रशासन द्वारा सुगमता से नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों के लिए आयोग, आयोग ही स्थापित किए जाने लगे हैं। टेनेसी घाटी के विकास के लिए बनाया गया संगठन इसका अच्छा उदाहरण है।

(iv) अर्ध-विधायी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए :— नियामकीय कार्य अर्ध विधायी प्रकृति के होते हैं। ऐसे कार्यों को किसी विभागाध्यक्ष को सौंपने से अधिक अच्छा यह होता है कि उनके लिए नियामकीय आयोग स्थापित कर दिए जाएं।

(v) आचार व्यवहार के नियमों की व्याख्या करने के लिए :— कुछ कार्य विशेष प्रकृति के कार्य होते हैं जिनके लिए आचार व्यवहार के नियमों की व्याख्या करने की आवश्यकता रहती है। उदाहरण के लिए उद्योगों का संचालन। काँग्रेस ने अनुभव किया कि आयोग ऐसे नियमों का निर्माण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संस्था होगी।

(vi) विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए :— कभी-कभी राष्ट्र के समक्ष अचानक ही संकटकालीन समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं अथवा नए ढंग की अन्य विशिष्ट समस्याएँ उठती हैं। ऐसी समस्याओं के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कार्यपालिका इन्हें हल करने की क्षमता नहीं रखती। अतः यह सोचा गया कि ऐसी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल करने के लिए स्वतंत्र आयोग स्थापित कर दिए जायें।

(vii) अन्तर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की सफलता :— अन्तर्राज्यीय वाणिज्य आयोग (1887) की सफलता भी एक प्रमुख कारण है। कांग्रेस इसकी कार्य-प्रणाली और सफलता से अत्यन्त प्रभावित हुई और उसे अन्य आयोगों की स्थापना करने की प्रेरणा मिली।

स्वतंत्र नियामकीय आयोगों के प्रमुख लक्षण या विशेषताएँ
(Salient features of independent regulatory commission)

स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :—

(i) मण्डल अथवा आयोग के रूप में गठन :— इनका मण्डल अथवा आयोग (Board of commission) के रूप में गठन किया जाता है इनकी अध्यक्षता बहुसंख्यक रहती है अर्थात् संगठन इस ढंग का होता है कि आयोग का प्रमुख एक व्यक्ति न होकर एक 'आयोग' होता है और सत्ता आयोग के सदस्यों में बंटी रहती है। यह व्यवस्था जान बूझकर इस लिए रखी जाती है कि इनके निर्णय निष्पक्ष और स्वतंत्र रीति से लिये जा सकें।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

(ii) **आयोग के सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल से लम्बा होना :-** आयोग के सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल से लम्बा होता है तथा भिन्न-भिन्न समय पर समाप्त होनेवाला (Staggered) है। अमेरिका में राष्ट्रपति की पदावधि 4 वर्ष की होती है जबकि नियामकीय आयोगों के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 5 से 7 वर्ष तक होती है। अतः इनका कार्यकाल राष्ट्रपति से अधिक लम्बा होता है। इसका यह परिणाम होता है कि राष्ट्रपति को किसी आयोग के सब सदस्यों को एक साथ अन्य पदाधिकारियों की भाँति नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता है। किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में सदस्य उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। अतः राष्ट्रपति इन पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। ये ऐसे हस्तक्षेप से मुक्त होकर स्वतंत्र रीति से अपना कार्य करते हैं।

(iii) **मिश्रित प्रकृति के कार्य :-** इन आयोगों के कार्य मिले जुले होते हैं, अर्थात् प्रशासनिक, अर्ध विधायी तथा अर्ध न्यायिक। उदाहरण के लिए अन्तर्राज्जीय वाणिज्य आयोग को ही लें। इसको राष्ट्रव्यापी यातायात व्यवस्था को बनाये रखने और उसका विकास करने का काम सौंपा गया है। अपना कार्य करने के लिए उसे इस बारे में नियमों और विनियमों के द्वारा नीतियाँ तय करनी पड़ती हैं। इन नियमों और विनियमों की रचना का कार्य अर्ध-विधायी है। आयोगों को यह नियम और विनियम लागू भी करने पड़ते हैं। यह कार्य प्रशासनिक कार्य है। उन्हें स्वयं अपनी ओर से तथा अनेक बार सम्बन्धित पक्षों की शिकायत पर यह निर्णय करना पड़ता है कि किसी प्रसंग में नियमों और विनियमों का पालन ठीक ढंग से हुआ है या नहीं। नियामक आयोग का यह कार्य अर्ध न्यायिक है। उनके कार्य के ये तीनों पहलू कभी-कभी पृथक होते हैं तथा उनको अलग-अलग पूरा किया जाता है। परन्तु उनके अधिकांश कार्यों में अर्ध विधायी, प्रशासनिक तथा अर्ध न्यायिक कार्य मिश्रित रहते हैं।

(iv) **वित्तीय स्वायत्तता :-** इनकी सेवा को प्रभावशाली तथा स्वतंत्र बनाये रखने की दृष्टि से इन्हें अपने कार्य संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(v) **विशेषज्ञों के आयोग :-** इन आयोगों में विशेषज्ञ काम करते हैं और इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। ये मण्डल अथवा टीम जैसे होते हैं जिनमें व्यक्तियों का एक समूह होता है जो सम्बन्धित समस्या पर वाद-विवाद कर बहुमत से निर्णय लेता है।

(vi) **मुख्य कार्यपालिका से स्वतंत्र :-** ये आयोग मुख्य कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं। ये कोई नियमित निष्पादकीय विभाग नहीं है। ये प्रत्यक्षतः मुख्य निष्पादक के प्रति उत्तरदायी नहीं होते।

स्वतंत्र नियामक आयोग के कार्य :- (Functions of Independent regulatory commissions)

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

(i) व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा आर्थिक कार्यों पर नियंत्रण :- अमेरिका में स्वतंत्र नियामक आयोगों का दायित्व समाज के हित में माना जाता है, आज की विषम आर्थिक परिस्थितियों में लघु उद्योगों तथा व्यक्तियों तक को राजकीय सुरक्षा की आवश्यकता होने लगी है। व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा का कार्य स्वतंत्र नियामकीय आयोगों के द्वारा बड़ा ही उपयुक्त रूप में किया जाता है।

(ii) अध्यक्षात्मक शासन के लिए उपयोगी :- अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के होते हुए भी कार्यपालिका के अनुचित रूप से शक्तिशाली होने का भय प्रत्येक समय बना रहता है। कार्यपालिका की निरंकुशता को रोकने और जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का सहारा लेना पड़ता है।

(iii) अर्द्ध न्यायिक कार्य :- स्वतंत्र नियामकीय आयोगों के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया जाता है कि ये कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करते हैं जिन्हें अमेरिकावासी कार्यपालिका के अंकुश से मुक्त रखना चाहते हैं।

(iv) केन्द्रित ध्यान :- नियामकीय आयोगों की उपयोगिता इसलिए भी है कि इनकी रचना किसी विशेष लक्ष्य को लेकर की जाती है। ये आयोग उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। इस केन्द्रित ध्यान द्वारा पूर्व निश्चित लक्ष्य सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।

(v) तथ्यों की खोज के लिए उपयुक्त :- स्वतंत्र नियामकीय आयोग तथ्यों की खोज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। जिस उद्देश्य से उनकी स्थापना होती है। उसके सम्बन्ध में उपयुक्त सामग्री वे एकत्रित कर लेते हैं। कांग्रेस के पास इतना समय नहीं है कि वह प्रत्येक समस्या के संबंध में कुशलतापूर्वक विचार कर सके। अतः इनके लिए नियामक आयोग ही उपयुक्त है।

स्वतंत्र नियामकीय आयोग के गुण :- स्वतंत्र नियामकीय आयोग के निम्नलिखित गुण हैं :- (i) यह एक ऐसा ढंग है जिससे नौकरशाही के हाथ से अर्द्ध विधायी तथा अर्द्ध न्यायिक कार्यकलाप ले लिये जाते हैं।

(ii) इनसे राष्ट्रीय महत्व के तथा तकनीकि प्रकार के कार्यकलाप दलीय राजनीति से बाहर निकाल लिए जाते हैं।

(iii) इनसे सामान्य तथा विशेषज्ञ प्रशासकों के संबंध में एकरूपता आती है जो संगठन के विभागीय ढाँचे में लाना कठिन है।

(iv) इनमें राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न मत तथा हित एक हो जाते हैं।

(v) अधिक स्वतंत्र हो जाने के कारण कार्य व्यापार में दलगत राजनीति समाविष्ट नहीं होती।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

स्वतंत्र नियामक आयोग के अवगुण :- स्वतंत्र नियामक आयोगों में उपर्युक्त गुण होते हुए भी कुछ गम्भीर अवगुणों के कारण इनकी आलोचना की जाती है। इनके मुख्य अवगुण निम्नलिखित है।

(I) यह कहा जाता है कि ये आयोग किसी संस्थापित सत्ता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। इन्हें Headless (शीर्ष हीन) कहा जाता है और इनके लिए "Area of un accountability" शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर उन्हें 'Irres-Ponsible commission' की संज्ञा भी दी जाती है।

(II) यह कहा जाता है कि "इनकी आयोगों की प्रशासकीय स्वतंत्रता के कारण देश की प्रशासकीय व्यवस्था विशृंखलित हो जाती है तथा राष्ट्रीय नीति के प्रभावकारी समन्वय में बाधा डालती है। आलोचकों के अनुसार इन आयोगों का गठन एक ऐसी प्रवृत्ति को विकसित करता है जिसका अवश्यम्भावी परिणाम पथ निर्मित करना है।

(III) ये आयोग सहायक सेवाओं के मामले में आत्मनिर्भर होने की चेष्टा करते हैं। वे दूसरे विभागों के आँकड़े संबंधी आर्थिक तथा कानूनी सेवाओं जैसी सहायक सेवाओं का लाभ नहीं उठाते। इससे खर्च में वृद्धि होती है तथा कर्मचारी भी अधिक रखने पड़ते हैं।

(IV) ये आयोग राष्ट्रपति के नियंत्रण से बाहर होते हैं इसलिए इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय प्रशासन में विघटन ला दिया है। ये आयोग संघीय सरकार के अन्य विभागों के साथ सहयोग न देकर राष्ट्रीय नीति के मार्ग में बाधा डालते हैं।

(V) यह भी कहा जाता है कि ये अपने कार्यों के निष्पादित होने में आलस्य के शिकार होते हैं।

(VI) ये आयोग कमजोर भी होते हैं क्योंकि इनका गठन अनेकात्मक प्रकार का होता है।

निष्कर्ष :- ऊपर वर्णित त्रुटियों और कठिनाइयों के कारण ब्राउनलो कमिटि ने अपने प्रतिवेदन में नियामक आयोगों को उपर्युक्त प्रशासकीय विभागों के साथ समागम कर देने की सिफारिश की थी। इस सम्बन्ध में उपर्युक्त विभागों से तात्पर्य उन विभागों से है जिनके द्वारा कार्य नियामक आयोगों के कार्य से मिलते हैं।

(समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी. के. कॉलेज, डुमराँव
दिनांक - 18/07/2020

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA